क्रमांक 22/55/1990—3जी0एस0111

प्रेशक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।
2. आयुक्त, अम्बाला,हिसार,रोहतक एवं गुड़गावां मण्डल ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ,चण्डीगढ़।
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

दिनांक, चण्डीगढ 21.08.2009

विषयः— हरियाणा राज्य से सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की सूचि में नई प्रविष्टी /संशोधन करने बारे 1

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 22/55/90—3जी0एस0—111, दिनांक 9—11—94 की ओर दिलाऊं तथा सूचित करूं कि अनूसचित जाति की सूचि में आरक्षण प्रदान करने हेतू क्रमांक नं0 5 पर बलवल जाति एवं क्रमांक 23 पर मेघ जाति शामिल की गई थी । सामाजिक न्याय एव अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक दिनॉक 18—8—07 द्वारा हरियाणा राज्य की अनूसचित जाति की केन्द्रीय सूचि में बलवल जाति के स्थान पर बटवाल (Batwal), बरवाला (Barwala) तथा मेघ (Megh) जाति के स्थान पर मेघ, मेघवाल (Meghwal) जाति को प्रति स्थापित किया है । सरकार ने विचारोपरान्त हिदायतें 22/55/90—3जी0एस0—111, दिनांक 9—11—94 के परिशिष्ट में क्रमांक 5 पर बलवल जाति के स्थान पर बटवाल (Batwal), बरवाला (Barwala) एवं क्रमांक नं0 23 पर मेघ जाति के स्थान पर मेघ (Megh) , मेघवाल (Meghwal) जाति को प्रति स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

भवदीय

अवर सचिव,सामान्य प्रशासन
कृतेः मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।

इसकी एक–एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों एवं प्रधान सचिवों तथा प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अवर सचिव,सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0कमांक 22/55/1990–3जी0एस0111 दिनांक 21.08.2009

इसकी एक–एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।।/विशेष कार्याधिकारी–1 व ।। को तथा मुख्य मंत्री/मंत्रीयों के सचिवों/ निजि सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

अवर सचिव,सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव–।/अतिरिक्त प्रधान सचिव–।।/ विशेष कार्याधिकारी–। व ।। को तथा मुख्य मंत्री/मंत्रियों के निजि सचिवों को मुख्य मंत्री/मंत्रियों, हरियाणा।

अशा0कमांक 22/55/1990–3जी0एस0111 दिनांक 21.08.2009